न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर

राजस्व वाद 123 / 2019(2019 / 00128)

1 मंजू पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

---- प्रार्थीगण

♠ बनाम ♠

1 राज. सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार सावर तहसील सावर।
2 रामलाल पुत्र चन्दा जाति मीणा।
3 नन्दलाल पुत्र देवीलाल जाति ढोली।
4 मनोज पुत्र अम्बालाल जाति ढोली।
5 नन्दा पुत्र हरनाथ जाति ढोली।
निवासीगण ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर।

--- अप्रार्थीगण

राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

उपस्थित –
प्रार्थी वकील :– श्री भंवरलाल शर्मा
पैराकार सरकार :– जरिये तहसीलदार सावर

आदेश

दिनांक 14.6.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थीया द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2072–75 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
239–206	1489/602	0.96	बारानी 3

उक्त में वर्णित आराजीयात प्रार्थीया की कब्जे काश्त स्वामित्व आधिपत्य की आराजीयात है जिसमे अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 प्रार्थीया की आराजीयात के पडोसी खातेदार है प्रार्थीया ने अपनी अराजीयात का पूर्व मे सीमाज्ञान करवाया व पटवारी हल्का द्वारा सीमा चिन्ह किये गये परन्तु अप्रार्थीगण बार–बार सीमा चिन्हों को मिटा देते है व प्रार्थीया की आराजीयात पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करने व फसल काश्त करने पर उतारू हो जाते है व मना करने पर लडाई झगडा करते है प्राथीया को अपनी आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी करवाया जाना आवश्यक हो गया है जिससे भविष्य में किसी प्रकार से आराजीयात के सीमा के बावत विवाद पेदा न हो क्योंकि अप्रार्थीगण बार–बार सीमाज्ञान कराने पर नही मान रहे है व सीमा चिन्हों को मिटा देते है जिससे स्थायी सीमाज्ञान करवाया जाना आवश्यक हो गया हे अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित आराजीयात के लेण्ड लोर्ड है व आराजीयात का स्थायी सीमाज्ञान करते है जिसको उक्त प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीया को उक्त प्रकरण प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 28.5.2019 को पटवारी से वर्णित आराजीयात का सीमाज्ञान करवाया था परन्तु अप्रार्थीगण सीमा चिन्हों को मानने से इन्कार कर दिया व दिनांक 30.5.2019 को प्रार्थीया खेत को हांक चौक कर तैयार करने हेतु गया तब अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 ने आराजीयात की सीमा बावत् लडाई झगडा किया तब

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

उत्पन्न हुआ अब दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थीया का उक्त वर्णित आराजीयात पर स्थायी पत्थरगढी कराने का निवेदन किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 द्वारा बावजूद सम्मन तामिल अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 जये पैरोकार सरकार द्वारा जवाब टिप्पणी अंकित कर जिसमे बताया संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदार भूमि है राजहित प्रभावित नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार है। खातेदार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सावर वाके ग्राम चीतीवास तहसील सावर के खाता संख्या नया पुराना 239–206 के खसरा संख्या 1489/602, रकबा 0.96हैक्टर, की पत्थरगढी प्रार्थीया द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)